

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
22.12.20	<p>पत्रावली पेश हुई। सरिसरी रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील SUBJECT to Limitation Act सरिसरी की जाके। पेशों की तारीख की जाकर पत्रावली दिनांक 28.12.20 को पेश हो।</p> <p>28 12 / 20</p> <p>अपील नं. 5-1-21 को पेश हो।</p>
5-1-21	<p>पत्रावली पेश हुयी अपील नं. 5-1-21 को पेश हो। अपील नं. 5-1-21 को पेश हो। अपील नं. 5-1-21 को पेश हो।</p>
07.1.2024	<p>पत्रावली वाले आदेशों पेश हुयी अपील नं. 5-1-21 को पेश हो। अपील नं. 5-1-21 को पेश हो। अपील नं. 5-1-21 को पेश हो।</p>

अपील नं. 5-1-21 को पेश हो। अपील नं. 5-1-21 को पेश हो। अपील नं. 5-1-21 को पेश हो।

**न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर (राज0)**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
	<p>तहल अदालत हात सहकारिताओं के विषय विशेष पाबंदी के रिपोर्टों में से भी पचास दिनों के अन्दर रखने का आदेश 12-3-2020 को जारी किया गया। इस पर पत्नी आदेश के विरुद्ध पहले अफील इस आदेश के साथ पेश की गई थी निष्पत्त्या पर रिपोर्ट्स एक्टों का प्रकाश को मिली प्रकाश की अन्तर्गत लागू आदेशों से पाबंद नहीं किया जा सकता है। इस आदेश से एक्टों का प्रकाश को मिली प्रकाश के अन्तर्गत आदेशों को ना तो भारत में पा रहे हैं आदेश ना ही उपरोक्त वादा रहे हैं तथा ना ही अन्तर्गत वादा रहे हैं।</p> <p>आगे कहा कि जो वे पर अभी तक भी संभाल के लिए दो अन्तर्गत अन्तर्गत गये हैं। इससे पहले विद्वानों को बताया है कि अन्तर्गत आदेशों को अन्तर्गत नहीं है क्योंकि सा संभाल के लिए पपुको के लिए एक प्रकाश को अपनी एक्टों की आदेशों पर अन्तर्गत एक निर्णय अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत के लिए का प्रकाश है तहसीलदा नों विधि विधि व अन्तर्गत पत्नी रिपोर्ट के आदेशों पर अन्तर्गत 95 पेश करने पर पत्नी अन्तर्गत अन्तर्गत आदेशों निर्णयों का प्रकाश को अन्तर्गत कहा कि एक्ट के प्रकाश को अन्तर्गत अन्तर्गत आदेशों की अन्तर्गत के अन्तर्गत अन्तर्गत आदेशों की अन्तर्गत के अन्तर्गत अन्तर्गत</p>

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर (राज 0)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही
	<p>इसलिए तबत जजालत के विधी विधि कोडेय व एक बाला कोडेय व इसकी फीस के फलदागो के तहत निर्णय नहीं होने से यह अपील पेश करने तबत जजालत के 21/1/1914 मरुटिये कोडेय के तहत बने कच अपील पेश की है जिसे हीरा (राज) व फलदागो की है</p> <p>ज्यापालप में जेय अपील के तहत तबत जजालत के कोडेय सिंग 12-3-22 के अंतर्गत यह स्पष्ट है कि एक रिपोर्ट (कांटेडा) के तहत यह एक पत्नी कोडेय फारिग किया तथा इस एक पत्नी कोडेय के कार्डिंग तबत फीस के फलदागो के कोडेय (अभी तक उपलब्ध नहीं है) निर्णय नहीं किया है । एक रिपोर्ट (कांटेडा) अपनी फारिग की कोडेय का रहन, बप, मुक्त बिन बने का फारिग स्वतंत्रता है तथा इसमें सुधार कार्य बने का भी फारिग की है तबत जजालत के कोडेय से अपीलान्त व तबत रिपोर्टों में अपनी कोडेय का सुधारित उपयोग व उपयोग नहीं है फारिग है उसे अपनी कोडेय का केवल का ल है जिसे अन्तर्गत कोडेय से फारिग (फारिग) मरुटिये यह तबत जजालत का फारिग कोडेय है फलदागो एक रिपोर्ट (कांटेडा) के तहत एक पत्नी कोडेय फीस के फलदागो के कोडेय की ग माह में निर्णय हो जाने फारिग</p>

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
	<p>इससे इमीलांर व्यक्ति के लिए इमीलीय न्यायालय हाउ न्याय प्रदात किया जागा न्यायोचित है</p> <p>इस अपील इमीलांर स्वीकार की जाकर अति. नं० हाल 3590/2021 1-3580 ठेकेदार को शीत मोहलाडिय) तहत नीलागण में जारी हुआग काडेशा दिनांक 12-3-2020 को रद्दीगित किया जाता है तथा तहत इडालत को शोडेश है कि वह इस निर्णय फाति के फाति के दो माह के अन्दर- अन्दर उअपपत्तो को सुनवा गुणवागुण में निर्णय पावित को</p> <p>प्रभावती फलम युगा (हाउ न्याय) से रहते तथा काउ तबमील कोरकोल पपत्ता है। निर्णय फाति तहत इडालत को मिरवापी जावे</p> <p>निर्णय काज दिनांक 07/11/2021 को सुनाया गया</p> <p><i>[Signature]</i> 07/11/2021</p> <p>भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर</p>